हरियाणा राज्य और अन्य - अपीलकर्ता।

बनाम

राजिंदर कुमार और अन्य, -प्रतिवादी।

लैटर्स पेटेंट अपील संख्या 1180 of 1988

18 जुलाई 1990.

भारत का संविधान, 1950-कला. 11. 16 और 226-कराधान निरीक्षकों के पद पर चयन-29 पदों की मूल मांग को बढ़ाकर 79 किया गया-बोर्ड ने राज्य सरकार को 49 उम्मीदवारों की सिफारिश की-सरकार ने केवल 29 व्यक्तियों को नियुक्त किया-पद खाली पड़े हैं-नियुक्ति का अधिकार-राज्य सरकार की कार्रवाई मनमाना .

निर्णय दिया गया कि यदि पद उपलब्ध हैं और उन पदों के लिए चयन किया गया है और उन्हीं पदों के लिए नया विज्ञापन भी जारी किया गया है और उन पदों पर कुछ व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार को विधिवत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने का कानूनी औचित्य बताना चाहिए। इन पदों के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया है और मंत्रालयिक कर्मचारियों के सदस्यों को इन पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, इससे पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्त न करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं था। चयनित। ऐसी परिस्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने में राज्य सरकार की निष्क्रियता मनमानी एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है।

(पैरा 7)

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 4307 में माननीय श्री न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री द्वारा पारित 3 अक्टूबर, 1988 के फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील के खंड एक्स के तहत लेटर पेटेंट अपील।

सिविल मिसे. 1988 का क्रमांक 15636-

धारा 151 सी.पी.सी. के साथ पठित आदेश 41 नियम 5 के तहत आवेदन। प्रार्थना करते हुए कि अपील के लंबित रहने के दौरान विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 3 अक्टूबर 1988 के आक्षेपित निर्णय की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

सिविल मिसे. 1990 की संख्या 340-

धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रार्थना करते हुए कि इस माननीय न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता-राज्य को एलपीए के निर्णय तक कराधान निरीक्षकों की नियुक्ति से रोकने के लिए विज्ञापन-अंतरिम रोक दी जा सकती है।

राम चंदर, डी.ए.जी. अपीलकर्ताओं के लिए हरियाणा।

एस.एस. निज्जर, मैसर्स के वरिष्ठ अधिवक्ता। टी. पी. सिंह; प्रतिवादियों की ओर से के.बी. भंडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रदीप भंडारी, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति आर. एस. मोंगिया

(1) इस निर्णय से 1988 की तीन पत्र पेटेंट अपील संख्या 1180, 1190 और 1182 का निपटारा किया जाएगा। प्रथम दो पत्र पेटेंट अपीलें सी.डब्ल्यू.पी. में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं। 1988 की संख्या 4307 में 3 अक्टूबर, 1988 को निर्णय दिया गया, जिसमें रिट याचिका को अनुमति दी गई जिसमें 17 याचिकाकर्ता थे। उपरोक्त अपील में से एक राज्य द्वारा और दूसरी रविंदर भटनागर और अन्य, रिट याचिका में निजी उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई है। तीसरा पत्र पेटेंट अपील (संख्या 1182/1988) हरियाणा राज्य द्वारा सी.डब्ल्यू.पी. में फैसले के खिलाफ दायर की गई है। 1987 की संख्या 7160, जिसे सी.डब्ल्यू.पी. के समान शर्तों पर उसी तारीख, यानी 3 अक्टूबर, 1988 को अनुमति दी गई थी। 1987 का क्रमांक 4307। सी.डब्ल्यू.पी. में दो याचिकाकर्ता थे। 1987 का क्रमांक 7160.

(2) संक्षेप में वर्तमान अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि वर्तमान उत्तरदाताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) को हरियाणा राज्य द्वारा कराधान निरीक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था, भले ही उन्हें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा इन पदों के लिए विधिवत चुना गया था। एक खुली प्रतियोगिता में हरियाणा (इसके बाद इसे 'बोर्ड' कहा जाएगा)।

(3) 22 जुलाई 1982 को बोर्ड की ओर से विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन छपा; कराधान निरीक्षकों के 29 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना, जिसमें उक्त पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि का उल्लेख हो। उक्त विज्ञापन के जवाब में, रिट-याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया था और 22/23 मई, 1983 को आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे। चूंकि हरियाणा राज्य द्वारा भेजे गए 29 पदों के लिए मूल मांग के अलावा, कुछ और पद भी थे। उपलब्ध हो जाने पर राज्य सरकार ने 4 जुलाई को संशोधित मांग भेजी। बोर्ड में कराधान निरीक्षकों के 79 पदों के लिए 1985। तदनुसार, बोर्ड ने उपरोक्त पदों के लिए चयन किया और 14 जनवरी, 1986 को केवल 49 उम्मीदवारों की अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दीं। इसकी सूचना चयनित उम्मीदवारों को भी भेज दी गई, जिसमें रिट याचिकाकर्ता भी शामिल थे। बोर्ड से उपरोक्त सिफारिशें प्राप्त होने पर, उत्पाद शुल्क एवं कराधान

आयुक्त, हरयाणाज ने याचिकाकर्ताओं के चरित्र सत्यापन/पूर्ववृत्त के साथ-साथ चिकित्सा परीक्षण भी करवाया।

(4) कुछ व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा किए गए चयन में सफल नहीं हुए, उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी. के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वर्तमान उत्तरदाताओं (रिट-याचिकाकर्ताओं) के चयन को चुनौती देने के लिए 1986 की संख्या 833 • (जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)। उस रिट याचिका में मुख्य चुनौती साक्षात्कार के लिए उच्च प्रतिशत अंक का आवंटन था। चूँकि मामला विचाराधीन था और वर्तमान उत्तरदाताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) के चयन को चुनौती दी गई थी, राज्य सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए। अंततः, मामले का निर्णय इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा किया गया और रिट याचिका 17 जुलाई, 1986 को खारिज कर दी गई। निर्णय अब 1986(3) एस.एल.आर. में रिपोर्ट किया गया है। 645. संयोग से यह उल्लेख किया जा सकता है कि जोगिंदर सिंह के मामले में राज्य का रुख (सुप्रा) यह था कि चयन पूरी तरह से वैध था और वे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्तियाँ देने जा रहे थे। ^ *इस बीच, कुछ व्यक्तियों द्वारा एक और रिट याचिका (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2839 •ऑफ 1986) दायर की गई थी जिसमें 79 पदों के लिए संशोधित मांग के खिलाफ बोर्ड की सिफारिशों को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने 29 पदों के अतिरिक्त कराधान निरीक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी, जिनके लिए बोर्ड द्वारा प्रारंभ में विज्ञापन दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ, कुछ वर्तमान रिट-याचिकाकर्ता जो उस मामले में प्रतिवादी थे, सी.पी. में सर्वोच्च न्यायालय चले गए। 1986 की संख्या 304। अंततः, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणियों के साथ इस मामले का निपटारा कर दिया, जो इन अपीलों के निपटान के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं हो सकता है। 10 मार्च, 1987 को रिट याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी. 1986 की संख्या 2839 में एक विविध कदम उठाया गया। आवेदन, जिस पर उसी दिन निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"सिविल विविध. 1987 की संख्या 770 को प्रार्थना के अनुसार अनुमति दी गई। 5 मार्च 1987 को सिविल विविध में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में। 1987 की संख्या 365 में कहा गया है कि चूंकि हरियाणा सरकार ने नई भर्ती के लिए रिक्तियां अधिसूचित की हैं और इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं, इसलिए मुख्य याचिका निरर्थक हो गई है और इसे ऐसे ही खारिज किया जा सकता है। तदनुसार आदेश दिया गया। कोई लागत नहीं।"

(5) कराधान निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी होने से पहले, उपरोक्त रिट याचिकाएं यानी सी.डब्ल्यू.पी. 1987 का 4307 और 1987 का 7160 दायर किया गया था, इस फैसले के शुरुआती पैराग्राफ में बताए गए अनुसार राहत की मांग की गई थी। इन रिट याचिकाओं को 3 अक्टूबर, 1988 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। यह कहा जा सकता है कि रिट के लंबित रहने के दौरान याचिकाओं में, इस न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि रिट याचिकाओं में दिए जाने वाले आदेश को प्रभावी करने के लिए रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान 20 पदों को खाली रखा जाए

और न भरा जाए। इन लेटर पेटेंट अपीलों के लंबित रहने के दौरान भी, 31 मई, 1989 को इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 20 पद जो रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान खाली रखे गए थे और भरे नहीं गए थे, को प्रभावी बनाने के लिए रिट याचिकाओं में जो आदेश दिया जा सकता है, उसे अब अपील के लंबित रहने के दौरान भी खाली रखा जाएगा।

(1) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए तर्कों को दोहराया है, जो हैं: -

(i) ऐसा कोई वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है जो केवल चयन द्वारा रिट-याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाता है और वे उन्हें नियुक्तियां जारी करने के लिए राज्य सरकार से परमादेश नहीं मांग सकते हैं।

(ii) नियुक्तियाँ देने का राज्य सरकार पर कोई वैधानिक कर्तव्य नहीं है।

(iii) रिट को पुनर्निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया था क्योंकि रिट याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. में एक पक्ष थे। 1986 का क्रमांक 2839, जिसे 10 मार्च 1987 को निष्फल मानकर खारिज कर दिया गया था और चूंकि राज्य सरकार ने उस रिट याचिका में यह रुख अपनाया था कि उसने सूची के क्रम संख्या 22 से परे चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करने का निर्णय लिया था। बोर्ड द्वारा अनुशंसित 49 अभ्यर्थियों में से वर्तमान रिट याचिकाकर्ता रिट याचिकाओं में नियुक्ति की मांग नहीं कर सके।

(2) उपरोक्त दो तर्कों (i) और (ii) के समर्थन में कि केवल चयन से उम्मीदवार को अधिकार नहीं मिल जाता है और यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह नियुक्ति दे या नहीं, अपीलकर्ताओं के वकील ने इस पर भरोसा किया हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा और अन्य (1), जतिंदर कुमार और अन्य आरएसवी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पंजाब राज्य और अन्य (2), मणि सुब्रत जैन बनाम हरियाणा राज्य (3), और सी.डब्ल्यू.पी. 1986 का नंबर 4000 (धर्म पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य), (4) द्वारा तय किया गया

(1) 1973 (2) एस.एल.आर. 137.

(2) ए.आई.आर. 1984 एस.सी. 1850।

(3) ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 276.

(4) सी.डब्ल्यू.पी. 1986 के क्रमांक 4000 का निर्णय 27 नवम्बर 1987 को हुआ।

इस न्यायालय ने 27 नवंबर, 1987 को। इस प्रस्ताव से कोई झगड़ा नहीं हो सकता कि केवल चयन नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। लेकिन यदि पद उपलब्ध हैं और उन पदों के लिए चयन किया गया है और उन्हीं पदों के लिए नया विज्ञापन भी जारी किया गया है और उन पदों पर कुछ

व्यक्तियों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार विधिवत चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त न करने के लिए कानूनी औचित्य देना होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के इस बिंदु को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य, (5) के मामले पर सही भरोसा किया था, जिसमें यह माना गया है कि 'राज्य किसी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकता है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी कानूनी औचित्य के चयन किया गया। न्यायालय उस कानूनी औचित्य पर विचार कर सकता है जो राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान मामले में ऐसा कोई औचित्य सामने नहीं आ रहा है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने जोगिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में पहले ही कहा है कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाएगा; इन पदों के लिए ताजा विज्ञापन जारी किया गया है और इन पदों पर तदर्थ आधार पर मंत्रालयिक स्टाफ के सदस्यों को नियुक्त किया गया है, इससे पता चलता है कि रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्त न करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं था। जिनका विधिवत चयन किया गया था. ऐसी परिस्थिति में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति न देने में राज्य सरकार की निष्क्रियता मनमानी एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बहस के दौरान मौखिक रूप से जो एकमात्र औचित्य दिया वह यह है कि उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी. में एक वचन दिया था। क्रमांक 2839 ऑफ 1986 में कहा गया है कि इन पदों पर विज्ञापन के बाद नई नियुक्तियां की जाएंगी। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस तथ्य के अलावा कि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई उपक्रम नहीं है और उस मामले में रिट याचिकाकर्ताओं के कहने पर रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था, जैसा कि 10 मार्च के आदेश से स्पष्ट है। 1987, ऊपर उद्धृत। इस तरह का उपक्रम, भले ही वह वहां हो, उम्मीदवारों के चयन के बाद राज्य सरकार को उन रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं करने के लिए कानूनी औचित्य नहीं दे सकता है, जिनका विधिवत चयन किया गया था। अन्यथा, हमें इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं किया गया है जो कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया है।

(8) जहां तक जेरेसी ज्यूडिकाटा की दलील का सवाल है, इस 11 को नोट किया जाना चाहिए और खारिज किया जाना चाहिए। प्रथमतः 10 मार्च 1987 के आदेश से स्पष्ट होगा कि पूर्व में सी.डब्ल्यू.पी. 1986 का क्रमांक 2839

(5) 1986 (3) एस.एल.आर. 389. ''

गुण-दोष के आधार पर निस्तारण नहीं किया गया। बल्कि उस मामले में रिट याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर उसे निष्फल मानकर खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, कराधान निरीक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं की न तो पात्रता और न ही पात्रता वर्तमान रिट

याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर पिछली रिट याचिका में सीधे या पर्याप्त रूप से मुद्दा थी, न ही उस पर निर्णय लिया गया था। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ पूर्व न्यायिक सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं थीं।

(9) ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, हमें इन पत्रों की पेटेंट अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है, जिन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालाँकि) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(10) फैसले से अलग होने से पहले, यह देखा जा सकता है कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 31 मई, 1989 के इस न्यायालय के आदेश के तहत, रिट याचिकाकर्ताओं के लिए कराधान निरीक्षकों के 20 पद खाली रखे गए थे। वर्ष 1980। मुकदमेबाजी के कारण, वे कराधान निरीक्षकों के रूप में अपनी नियुक्ति से वंचित हो गए। अधिकारियों को अब एक महीने की अवधि के भीतर कराधान निरीक्षकों के रूप में रिट याचिकाकर्ताओं को नियुक्तियां देने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

दीपांशु सरकार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)